

राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप-6) विभाग

क्रमांक:- एफ 6 (24)राज-6 / 2001 / पार्ट/०२

जयपुर, दिनांक:- १४-०१-१८

अधिसूचना

राजस्थान भू-राजस्व (लवणीय क्षेत्र में भूमि का आवंटन) नियम, 2007 के नियम 6 के उप-नियम (3) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद्वारा राजस्व (ख) विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 2(15)रे.बी./67 दिनांक 13.4.1967, जिसके द्वारा ग्राम डाडीया तहसील फलोदी के खसरा नं. 67 व 86 व ग्राम गंगाणी तहसील ओसिमा के खसरा नं. 391 की भूमियों को लवण क्षेत्र घोषित किया गया था, को तत्काल प्रभाव से विखण्डित करती है।

राज्यपाल की आज्ञा से,


(पी.एस. बिश्नोई)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. विशिष्ट सहायक, मा० राजस्व मंत्री महोदय।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, उद्योग विभाग।
3. निजी सचिव, सचिव, राजस्व विभाग।
4. आयुक्त, उद्योग विभाग, जयपुर।
5. सभागीय आयुक्त, जोधपुर।
6. जिला कलक्टर, जोधपुर।
7. निदेशक राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय जयपुर को असाधारण अंक में दिनांक १४-०१-१८ में प्रकाशनार्थ प्रेषित है।
8. निदेशक, जनसम्पर्क निदेशालय, जयपुर।
9. राविरा, राजस्व मण्डल अजमेर।
10. समर्त संयुक्त शासन सचिव एवं उप शासन सचिव, राजस्व विभाग।
11. रक्षित पत्रावली।


संयुक्त शासन सचिव